संख्या– 431 /VI-I/2007–4(9)/2004

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक : 18 सितम्बर, 2008

विषयः–छठा भारत संस्कृति दर्पण नाट्य महोत्सव, 2008 के आयोजन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–950/स0नि0उ0/दो–4/2008–09, दिनांक– 07 अगस्त, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दूनघाटी रंगमंच, देहरादून द्वारा छठा भारत संस्कृति दर्पण नाट्य महोत्सव, 2008 जिसका आयोजन दिनांक 18 मई से 22 मई, 2008 तक स्थानीय टाउन हाल नगर निगम में किया गया है, हेतु शासनादेश संख्या–208/VI-I/2008 दिनांक– 8–5–08 द्वारा आपके नियर्तन पर रखी हुई धनराशि रू0 2.00 करोड़ मात्र से रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदो के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4– धनराशि का आहरण बजट एवं परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6– आयोजन शासनादेश सं0–105/VI-I/2007–4(4)/2007 दिनांक– 05 मार्च 2008 के शर्तो के अनुरूप होने की पुष्टि कर ली जाये।

7– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

8– संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205– कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के मामें डाला जायेगा।

10– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–323(पी)/XXVII(3)/2008 दिनांक–12 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 431 /VI-I/2008–4(8)/2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 बल्दिया)
उप सचिव